कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय – आदेश

मुख्यमंत्री, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस रिलीज दिनांक : 21.3.2020 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक : प.1(1) चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 22.03.2020 के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के समस्त कार्यालय, राजकीय/ निजी विद्यालय, छात्रावास एवं समस्त अन्य संस्थान दिनांक : 31.03.2020 तक पूर्णतः बन्द रहेंगे। समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के कार्मिक/शिक्षक बिना नियंत्रण अधिकारी के आदेशों के उक्त अवधि में सम्बन्धित संस्थान/विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे।

इस अवधि के दौरान सभी कार्यालयों, विद्यालयों/संस्थानों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। अत्यावश्यक कार्यवश ड्यूटी हेतु निर्देशित किए जाने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए सम्बन्धित जिला कलक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस अवधि में किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं होगी, जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिला कलक्टर से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे। समस्त कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान/कार्मिक उक्तानुसार जिला प्रशासन/नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने–अपने मोबाईल चालू स्थिति में रखेंगे एवं नियंत्रण अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे। नियंत्रण अधिकारी/उच्चाधिकारियों से प्राप्त मौखिक, लिखित, दूरभाष, एस.एम.एस., वाट्सअप, ई–मेल आदि किसी भी संचार माध्यम से प्राप्त निर्देशों की तत्काल पालना की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक :22.03.2020

क्रमांक:–शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/276

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्‍ जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा प जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर।

7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्., उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा/पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान—समस्त।
16. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
18. समस्त पीईईओं/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
19. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, निदेशालय—माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर